

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1.अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर

क्रमांक एफ.11(125)(11)आर.एण्ड.पी./सान्याअवि/13/30218

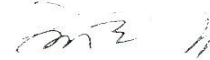
जयपुर दिनांक 22/3/20

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.11(125)आर.एण्ड.पी./सकवि/52307, दिनांक 6 अगस्त, 1994, क्रमांक एफ.11(125)आर.एण्ड.पी./सकवि/92810 दिनांक 24 दिसम्बर, 1994, क्रमांक एफ.11(125)(2)आर.एण्ड.पी./सकवि/12099 दिनांक 15 मार्च, 1997, क्रमांक एफ.11(125)आर.एण्ड.पी./सकवि/74085 दिनांक 3 नवम्बर, 1999, क्रमांक एफ.11(125)(3)(4)(5)आर.एण्ड.पी./सकवि/75681 दिनांक 12 नवम्बर, 1999, क्रमांक एफ.11(125)(6)आर.एण्ड.पी./सकवि/1 दिनांक 1 जनवरी, 2000, क्रमांक एफ.11(125)(7)आर.एण्ड.पी./सकवि/153 दिनांक 2 जनवरी, 2000, क्रमांक एफ.11(125)(7)आर.एण्ड.पी./सकवि/459 दिनांक 10 जनवरी, 2000, क्रमांक एफ.11(125)(6)आर.एण्ड.पी./सकवि/22821 दिनांक 26 जून, 2000, क्रमांक एफ.11(125)(9)आर.एण्ड.पी./सकवि/41745 दिनांक 20 अगस्त, 2001, क्रमांक एफ.11(125)(10)आर.एण्ड.पी./सकवि/2002/26706 दिनांक 24 जून, 2002 एवं क्रमांक एफ.11(125)(10)आर.एण्ड.पी./सकवि/2002/26832 दिनांक 24 जून, 2002 जो क्रमशः राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1 (स) में दिनांक 8 अगस्त, 1994, 24 दिसम्बर, 1994, 15 मार्च, 1997, 22 मार्च, 1997, 6 नवम्बर, 1999, 15 नवम्बर, 1999, 4 जनवरी, 2000, 15 मार्च, 2000, 31 अगस्त, 2001 एवं 24 जून, 2002 को प्रकाशित हुयी थी, के अनुक्रम में राजस्थान के पिछड़े वर्गों की अधिकृत सूची में तुरन्त प्रभाव से निम्न पिछड़े वर्गों के नाम जोड़े जाते हैं :-

क्र.सं.	जाति/वर्ग जिसे सम्मिलित किया गया है	अधिसूचना दिनांक 6.8.1994, 24.12.1994, 15.3.1997, 3.11.1999, 12.11.1999, 1.1.2000, 2.1.2000, 10.1.2000, 28.6.2000, 20.8.2001 एवं 24.6.2002 द्वारा जारी सूची की क्रम संख्या जिस पर इस जाति/वर्ग को जोड़ा गया है एवं पृथक क्रमांक पर जाति/वर्ग जोड़ा गया है
1	मोयला	सूची में क्रमांक 31 पर कुम्हार (प्रजापति), कुमावत, सुआरा के आगे "मोयला"
2	कागजी	सूची में पृथक क्रमांक 83 पर "कागजी"
3	बिसायती	सूची में पृथक क्रमांक 84 पर "बिसायती"
4	कम्बोज	सूची में पृथक क्रमांक 85 पर "कम्बोज"
5	अराई	सूची में क्रमांक 68 पर कुंजड़ा, राईन के आगे "अराई"

आज्ञा से,



(अदिति मेहता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य राचित महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राज. जयपुर।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राज. सरकार।
5. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
6. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
7. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. समस्त संभागीय आयुक्त।
9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
10. सजिस्ट्रार, राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर/जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेर।
12. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर।
13. निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान।
14. समस्त विभागाध्यक्ष।
15. समस्त जिला कलेक्टर।
16. समस्त पुलिस अधीक्षक।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
18. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिषद एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
19. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) में प्रकाशन हेतु।
20. गार्ड फाइल।

(अदिति मेहता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव